न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर

बइजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 13/2019

वादी :–
1. भेरू पुत्र हरदीन उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी कुण्डरी तहसील परबतसर जिला नागौर

प्रतिवादी :–
1. चौसाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट
2. अमराराम पुत्र नारायणराम जाति जाट
3. अमरी जोजे चौसाराम जाति जाट
4. सुन्दरी जोजे अमराराम जाति जाट निवासी कुण्डरी तहसील परबतसर
5. तहसीलदार परबतसर
6. नायब तहसीलदार पीलवा
7. पटवारी हल्का कुण्डरी

वकील वादी – तिलोकनाथ उपस्थित

दावा बाबत बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती एव स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

याद वादी संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा कुण्डरी के खसरा सं. 224 रकबा 312 बिघा 19 बिस्वा में से 25 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी स. 1 व 2 से दिनांक 16.10.67 को खरीद की थी जिसके पडोस बेचान दस्तावेजानुसार पूर्व में बेचानकर्ता प्रतिवादीगण की जमीन, पश्चिम मे गेरखापी की जमीन जो वर्तमान में राधाकिसन, मीठूराम, सोहनराम वगै. का खेत, उत्तर में पूसाराम, पांचाराम, लाखाराम, प्रभूराम की जमीन जो वर्तमान में आसूराम, खेताराम, गीगाराम छोगाराम जसाराम नारीदेवी परसाराम कुपाराम विनोद शंकरराम सुरेश, हराराम की जमीन, दक्षिण में प्रतिवादी की इसी खसरे की भूमि आई हुई है। उपरोक्त पडोस के मध्य की भूमि पर प्रतिवादीगण के कब्जा दिनाक 16.10.67 को मुझ वादी को सौप दिया था उसी दिन से 25 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा निरन्तर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग निर्बाधगति से वादी करता आ रहा है। वादी ने खतोनी व नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से निकलवाई तो पता चला कि वर्तमान सेटलमेन्ट मे बिना किसी आधार के वादी के कब्जे के स्थान पर प्रतिवादी 1, 2, 3 का गलत तरमीम नक्शा बना कर खातेदार अंकित कर दिया है तथा प्रतिवादीगण के काश्त कब्जे के खेत खसरा नम्बर 564 का खातेदार मुझ वादी के नाम कर दी गई है। मौके के कब्जे व नक्शा ट्रेस व खतोनी में अंकित खातेदारी मे भारी अन्तर आ गया है जिससे मुझ वादी व प्रतिवादी 1 से 4 को भी परेशानी हो सकती है क्योकि पुराने खसरा नम्बर 224 रकबा 312 बीघा 19 बिस्वा में से प्रतिवादी स. 1 व 2 द्वारा 230 बीघा के लगभग भूमि का बेचान कर दिया है। प्रतिवादीगण स. 1 व 2 की खातेदारी में 82 बीघा 9 बिस्वा भूमि बची है बेचान दस्तावेजो के अनुसार पुराने नक्शे में भी तरमीम नही की गई है और नये नक्शे में

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

गलत तरमीम कर मौके के कब्जे व नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये खसरा नम्बर में भारी अन्तर आ रहा है जिससे वादी व प्रतिवादीगण के हित भंयकर रूप से प्रभावित हो रहे है। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा कुण्डरी के पुराने खसरा नम्बर 225 व 224 नये खसरा नम्बर 566, 567, 565, 568, 564, 563 व 562 मे मौके के काश्त कब्जे व हक हिस्से अनुसार परिशिष्ठ क में दर्शाये गये ए.बी.सी.डी मार्क के मध्य की भूमि का खातेदार वादी भवरू पुत्र हरदीन जाति जाट निवासी कुण्डरी को खातेदार घोषित फरमाते व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाई जावे व मार्क ई.एफ.जी का खातेदार प्रतिवादीगण न. 1,2,3 को घोषित फरमा कर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाई जावे व मार्क आई.जे.के.एल को रास्ता वादी व प्रतिवादीगण स. 1 व 2 के नाम घोषित फरमाते हुए नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाई जावे। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि सरहद मौजा कुण्डरी के पुराने खसरा सं. 225 व 224 नये खसरा नम्बर 566, 567, व 565, 568, 564, 563 व 562 मे मौके के काश्त कब्जे व हक हिस्से अनुसार परिशिष्ठ क मे दर्शाये गये ए.बी.सी.डी मार्क के मध्य की भूमि व परिशिष्ठ क मे मार्क आई जे के एल रास्ते मे वादी भवरू पुत्र हरदीन जाति जाट निवासी कुण्डरी के कब्जे काश्त हक हिस्से व रास्ते के उपयोग मे आने जाने मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जो शा.मि. किया गया। प्रतिवादी सं. 4 ता 7 बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहने से एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण मे बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जो शा.मि. किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पूर हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किये जाकर माफिक बंटवारा प्रस्ताव मौके पर कब्जे अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं बहस वकील वादी का आद्योपन्त अध्ययन एवं मनन किया। वाद वादी माफिक बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है कि मौजा कुण्डरी के खसरा सं. 564, 565, 566 में से भंवरू पुत्र हरदीन कौम जाट सा. देह को खसरा सं. 565 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा सं. 566 रकबा 2.67 हैक्टर का, अमरी पत्नि घीसाराम कौम जाट सा.देह को खसरा सं. 564 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा सं. 565 रकबा 2.34 हैक्टर का, घीसा पुत्र नारायण 1/2 अमरा पुत्र नारायण 1/2 कौम जाट सा. देह को खसरा सं. 564 रकबा 2.67 हैक्टर, खसरा सं. 566 रकबा 4.26 हैक्टर का, भवरू पुत्र हरदीन 1/2 घीसा पुत्र नारायण, अमरा पुत्र नारायण 1/2 हिस्से कौम जाट सा. देह को खसरा सं. 566 रकबा 0.08 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबन्दी अनुसार हिस्सा रहन यथावत रहेगा। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.07.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी परबतसर
परबतसर (नागौर)

मूल वाद मे डिक्री
(ओ 20 रूल 6 और 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी परबतसर
बइजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी

वादी :–

1. भंवरू पुत्र हरदीन उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी कुण्डरी तहसील परबतसर जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1. घीसाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट
2. अमराराम पुत्र नारायणराम जाति जाट
3. अमरी जोजे घीसाराम जाति जाट
4. सुन्दरी जोजे अमराराम जाति जाट निवासी कुण्डरी तहसील परबतसर
5. तहसीलदार परबतसर
6. नायब तहसीलदार पीलवा
7. पटवारी हल्का कुण्डरी

राजस्व वाद स. – 99/2018

दावा बाबत बटवारा , रेकर्ड दुरूस्ती एव स्थाई निषेधाज्ञा

:: डिक्री ::

वाद वादी माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा कुण्डरी के खसरा स. 564, 565, 566 मे से भंवरू पुत्र हरदीन कौम जाट सा. देह. को खसरा स. 565 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा स. 566 रकबा 2.67 हैक्टर का, अमरी पत्नि घीसाराम कौम जाट सा.देह को खसरा स. 564 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा स. 565 रकबा 2.34 हैक्टर का, घीसा पुत्र नारायण 1/2 अमरा पुत्र नारायण 1/2 कौम जाट सा.देह को खसरा स. 564 रकबा 2.67 हैक्टर, खसरा स. 566 रकबा 4.26 हैक्टर का, भंवरू पुत्र हरदीन 1/2 घीसा पुत्र नारायण, अमरा पुत्र नारायण 1/2 हिस्से कौम जाट सा. देह को खसरा स. 566 रकबा 0.08 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबन्दी अनुसार हिस्सा रहन यथावत रहेगा। बटवारा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार परबतसर को राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

इस वाद में खर्चे लेखे..निल. रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ...निल... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ....निल... के द्वारा ...निल... को दी जावेगी।

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
निल	निल	निल	निल

आज दिनांक 09.07.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(अशोक कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर